

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2024—वैशाख 27, शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2024

क्र. ई-1-69-2024-5-एक.—श्री भास्कर लक्षकार, भाप्रसे (2010), प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-5-576-आयएस-लीव-5-एक.—डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे (1990) उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) का दिनांक 8 से 19 अप्रैल 2024

तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6, 7 एवं 20, 21 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) डॉ. राजेश कुमार राजौरा, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे (1993), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

2457

(4) डॉ. राजेश कुमार राजौरा, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. राजेश कुमार राजौरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेश कुमार राजौरा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2024

क्र. ई-5-764-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल के दिनांक 6 से 22 मई 2024 तक, सत्रह दिन के एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 4, 5 एवं 23 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000), की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत कुमार, भाप्रसे (2002), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा प्रबंध संचालक, दि-प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, मुम्बई को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मई 2024

फा. क्र. 1975-2024-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा की न्यायिक अधिकारी कुमारी सरिता वाधवानी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खातेगांव (देवास) को एतद्द्वारा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास के पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 8 मई 2024

शुद्धि-पत्र

क्र. 1922-इक्कीस-ब(एक) 2024.—मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण), भाग-एक, क्रमांक 17, दिनांक 26 अप्रैल, 2024 में ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 के अंतर्गत प्रकाशित की गई विभागीय अधिसूचना फा. क्रमांक 1754-इक्कीस-ब (एक)-2024, दिनांक 18 अप्रैल 2024 में वर्णित क्रमांक 74 पर कॉलम संख्या 2 पर न्यायिक अधिकारी का नाम "श्री श्रीकिशन भूखारिया" के स्थान पर शब्द "श्री श्रीकृष्ण बुखारिया" पढ़ा जाए एवं अंग्रेजी संस्करण में सरल क्रमांक 68 के पश्चात् निम्नानुसार कॉलम जोड़ा जाकर पढ़ा जाए :—

74. Shri Shrikrishan Karera Shivpuri Karera Karera Bukhariya,
Additional Judge
to Ist Civil
Judge Senior
Division.

फा. क्र. 1977-इक्कीस-ब-(एक) 2024.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 50 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्र.	सेशन न्यायाधीश / अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“51.	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर-मालवा	आगर-मालवा.”

F. No. 1977-XXI-B (1)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department Notifications F. No.-1-1-88-XXI-B (1), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 6th November, 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, after serial number 50 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be added, namely:—

TABLE

S. No.	Sessions Judge / Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“51.	I District and Additional Sessions Judge, Agar-Malwa	Agar-Malwa.”

भोपाल, दिनांक 8 मई 2024

फा. क्र. 1978-इक्कीस-ब-(एक) 2024.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई)-17-2016-इक्कीस-ब (एक) -2311/19, दिनांक 5 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, व्यवहार न्यायाधीश स्तर के लिए, अनुक्रमांक 1 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी का नाम (व्यवहार न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
“1.	इन्दौर	श्रीमती मिनी गुप्ता, ग्यारहवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, इन्दौर
3	जबलपुर	श्री देवरथ सिंह, पच्चीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जबलपुर.”

F. No. 1978--XXI-B (1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016), the State Government, with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 2311-2019, dated 5th April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 17th May 2019, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for Civil Judge Level, for serial number 1 and 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	District	Name of the Judicial Officers (Civil Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"1.	Indore	Smt. Mini Gupta, XI th Civil Judge, Senior Division, Indore
3.	Jabalpur	Shri Devrath Singh, XXV th Civil Judge, Senior Division, Jabalpur."

फा. क्र. 1978-इक्कीस-ब-(एक) 2024.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17 (ई) 17-2016-इक्कीस-ब (एक)-1888-19, दिनांक 2 अप्रैल, 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी का नाम (जिला न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"2.	भोपाल	श्री विवेक सक्सेना, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
3.	जबलपुर	श्री अजय रमावत, चौबीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
4.	ग्वालियर	श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर."

F. No. 1978-XXI-B (1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016), and in light of this Department's Notification F. No. 17(E) 17-2016-XXI-B (1) 1888-2019 dated 2nd April, 2019, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12th April, 2019 issued under sub-section (1) and (2) of section 3 of the Commercial Court, Act, 2015 (4 of 2016), the State Government with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Judicial Officer of District Judge level to be a Judge, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes under sub-section (3) of section 3 of the said Act, namely:—

TABLE

S. No.	District	Name of the Judge (District Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"2.	Bhopal	Shri Vivek Saxena, VIII th District & Additional Sessions Judge, Bhopal.
3.	Jabalpur	Shri Ajay Ramawat, XXIV th District & Additional Sessions Judge, Jabalpur.
4.	Gwalior	Shri Shyam Sundar Jha, III rd District & Additional Sessions Judge, Gwalior."

फा. क्र. 1978-इक्कीस-ब-(एक) 2024.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 क के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 17(ई)-17-2016-इक्कीस-ब (एक)-1888-2019, दिनांक 2 अप्रैल, 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 12 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को वाणिज्यिक अपील न्यायालय के न्यायाधीश रूप में पदाभिहित करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी का नाम (जिला न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"2.	भोपाल	श्री विवेक सक्सेना, अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल
3.	जबलपुर	श्री अजय रमावत, चौबीसवें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
4.	ग्वालियर	श्री श्याम सुन्दर झा, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर."

F. No. 1978-XXI-B (1)-2024.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts, Act, 2015 (4 of 2016) and in light of this department's Notification F. No. 17(E)-17-2016-XXI-B(1)-1888-2019 dated 2nd April, 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 12th April, 2019 issued under section 3-A of the said Act, the State Government, with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designate the Judicial Officer at District Judge level to be a Judge of Commercial Appellate Court, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes, namely :—

TABLE

S. No.	District	Name of the Judge (District Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"2.	Bhopal	Shri Vivek Saxena, VIII th District & Additional Sessions Judge, Bhopal.
3.	Jabalpur	Shri Ajay Ramawat, XXIV th District & Additional Sessions Judge, Jabalpur.
4.	Gwalior	Shri Shyam Sundar Jha, III rd District & Additional Sessions Judge, Gwalior."

फा. क्र. 1980-इक्कीस-ब-(एक) 2024.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-5846-2018, दिनांक 7 दिसम्बर 2018, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 दिसम्बर 2018 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में (1) अनुक्रमांक 102 तथा 103 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	सारणी विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"102.	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल	सिविल जिला शहडोल का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 103, 103-क एवं 103-ख पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
103.	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी	ब्यौहारी का विद्युत् क्षेत्र.”.

(2) अनुक्रमांक 103 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“103-क	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुढ़ार	बुढ़ार का विद्युत् क्षेत्र.
103-ख	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जयसिंहनगर.	जयसिंहनगर का विद्युत् क्षेत्र.”.

F. No. 1980-XXI-B (One)-2024.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E)83-03-XXI-B(1)-5846-2018 dated 7th December, 2018, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated 21st December 2018, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Table (1) for serial number 102 and 103 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“102.	Shahdol	Additional Sessions Judge, Shahdol	All Electricity Area of Civil District Shahdol (Excluding the territorial jurisdiction given at serial no. 103, 103-A and 103-B)
103	Shahdol	Additional Sessions Judge, Beohari	Electricity Area of Beohari.”.

(2) after serial number 103, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

“103-A.	Shahdol	Additional Sessions Judge, Burhar	Electricity Area of Burhar
103-B.	Shahdol	Additional Sessions Judge, Jaisinghnagar	Electricity Area of Jaisinghnagar.”.

क्र. 1981-इक्कीस-ब-(एक).—राज्य शासन एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 397-गोपनीय-2024-दो-2-9-97, दिनांक 3 अप्रैल 2024 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृती प्रदान करता है :—

क्र. (1)	नाम (2)	पदस्थापना (3)
1.	श्री सिद्धार्थ तिवारी, पांचवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सतना.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) मंदसौर के रिक्त स्थान पर.
2.	श्री राजीव राव गौतम, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायसेन.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रायसेन के रिक्त स्थान पर.
3.	श्रीमती आरती शर्मा, तेरहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) भोपाल के रिक्त स्थान पर.
4.	श्रीमती शशि सिंह, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर, इन्दौर.	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) नर्मदापुरम के रिक्त स्थान पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ.पी. रघुवंशी, सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2024

क्र. 943-2023964-2024-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. (1)	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)	जिले का नाम (3)	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4)
1	हरदा	हरदा	श्रीमती चेतना रूसिया, JMFC
2	शाजापुर	शाजापुर	डॉ. स्वाति चौहान, JMFC
3	श्योपुर	श्योपुर	श्रीमती बबिता होरा शर्मा, JMFC

No. 943-2023964-24-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Harda	Harda	Smt. Chetna Rusia, JMFC
2	Shajapur	Shajapur	Dr. Swati Chouhan, JMFC
3	Sheopur	Sheopur	Smt. Babita Hora Sharma, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2024

क्र. 566-एफ 1 (ए) 06-2016-ए-सोलह.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 की उपधारा (2) सह-पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (2) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :-

स. क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	सुश्री संजना सरल	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, क्रमांक 2, भोपाल
2	कु. पुनीता चौहान	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इन्दौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 22 मार्च 2024

संशोधित अधिसूचना

क्र. 4490-स्थापना-2024.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 की कंडिका चार के नियम 8 के अनुसार जिला हरदा में वर्ष 2024 के लिये कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 286-87-स्थापना-2024, हरदा, दिनांक 3 जनवरी 2024 से स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं.

उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया जाकर 1 नवम्बर 2024 शुक्रवार, दीपावली का दूसरा दिन का अवकाश निरस्त करते हुए, दिनांक 30 मार्च 2024 (शनिवार) को रंगपंचमी का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.

उपर्युक्त स्थानीय अवकाश बैंकों / कोषालयों / उपकोषालयों पर लागू नहीं होगा.

आदित्य सिंह, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी, दिनांक 30 अप्रैल 2024

क्र. भू-अर्जन-02 (अ-82) 2023-24-641.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	मूसामुंडी रैयत प.ह.नं. 203	34.520	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 34.520		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-05 (अ-82) 2023-24-642.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	पिपरखुटा रैयत प.ह.नं. 211	2.020	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 2.020		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-01 (अ-82) 2023-24-643.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	चूनपथरी प.ह.नं. 202	84.800	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 84.800		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-04 (अ-82) 2023-24-644.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	पाटनगढ़ रैयत प.ह.नं. 209	98.101	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 98.101		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-03 (अ-82) 2023-24-645.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	मानिकपुर रैयत प.ह.नं. 207	8.880	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . .	8.880	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-15 (अ-82) 2023-24-646.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	बम्हनी ऊर्फ धवाडोंगरी प.ह.नं. 204	28.125	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . .	28.125	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-06 (अ-82) 2023-24-647.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	रूसा रैयत प.ह.नं. 226	32.340	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 32.340		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-16 (अ-82) 2023-24-648.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	शोभापुर माल प.ह.नं. 198	25.813	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 25.813		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-07 (अ-82) 2023-24-649.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	पथरकुचा रैयत प.ह.नं. 207	112.707	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 112.707		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-17 (अ-82) 2023-24-650.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	गोरखपुर रैयत प.ह.नं. 205	5.906	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 5.906		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-08 (अ-82) 2023-24-651.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	शोभापुर माल प.ह.नं. 198	134.945	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 134.945		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-09 (अ-82) 2023-24-652.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	पकरी रैयत प.ह.नं. 227	20.080	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 20.080		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-18 (अ-82) 2023-24-653.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	परसवाह प.ह.नं. 200	141.607	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 141.607		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-10 (अ-82) 2023-24-654.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	गोरखपुर माल प.ह.नं. 205	33.355	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
			कुल . . 33.355		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-19 (अ-82) 2023-24-655.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	पाटनगढ़ माल प.ह.नं. 209	37.125	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
कुल . .			37.125		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-11 (अ-82) 2023-24-656.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	भलखोहा रैयत प.ह.नं. 210	12.030	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
कुल . .			12.030		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12 (अ-82) 2023-24-657.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	पथरकुचा माल प.ह.नं. 201	206.543	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
कुल . .			206.543		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-20 (अ-82) 2023-24-658.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	सुनपुरी रैयत प.ह.नं. 209	33.610	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
कुल . .			33.610		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13 (अ-82) 2023-24-659.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	मूसामुंडी माल प.ह.नं. 203	6.512	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
कुल . .			6.512		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mpvenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-14 (अ-82) 2023-24-660.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	बजाग	रहंगी रैयत प.ह.नं. 226	18.750	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1, जिला डिण्डौरी.	अपर नर्मदा परियोजना हेतु
कुल . .			18.750		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अपर नर्मदा परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mpvenue.nic.in पर देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बजाग या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 6 मई 2024

प्र. क्र. 06-अ-82-वर्ष 2024-2025.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) पन्ना	(2) पन्ना	(3) लक्ष्मीपुर	(4) निजी भूमि रकबा 1.8687 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा <u>1.8687 हे.</u>	(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स), संभाग पन्ना.	(6) पन्ना—पहाड़ीखेरा मार्ग लम्बाई 38.65 कि. मी. के निर्माण के भूमि अर्जन हेतु धारा 11 का प्रकाशन, ग्राम लक्ष्मीपुर, तहसील व अनुभाग पन्ना, धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ / स), संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 14 मई 2024

प्र. क्र. 04-अ-82-2022-2023.—राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 25 नवम्बर 2022 को कराया गया था. विधान सभा निर्वाचन वर्ष 2023 के चलते राजस्व एवं विभागीय अमलों की निर्वाचन कार्यों की प्राथमिकता एवं अन्य परिहार्य कारणों के कारण 1 वर्ष की नियमित अवधि में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है.

अतः भू-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है :—

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन				सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	(5)
(1) राजगढ़	(2) खिलचीपुर	(3) बीजपडी	(4) 0.538	(5) पीपल्याकुमार तालाब सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
राजगढ़	खिलचीपुर	चमारी	4.015	
कुल योग . .			<u>4.553</u>	

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 3 मई 2024

प्रकरण क्रमांक 0001/अ-82/2024-25 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि/मकान एवं खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

—: अनुसूची - 1 :-

भूमि/मकानों का वर्णन

जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सीहोर	श्यामपुर/रावतखेड़ा	भूमि - 1.738 हैं. मकान- 507. 24 वर्गमीटर	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

—: अनुसूची - 2 :-

निजी भूमि

स.क्र.	भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1	गम्बर जाटव ना.बा. पिता कैलाश जाटव सरंक्षक बुआ नानीबाई पुत्री लालजीराम जाति चमार निवासी रावतखेड़ा अहस्तांतरणीय	4/4	1.134	1.134	
		46	0.866	0.604	
	कुल योग--:	2	2.000	1.738	

निजी भूमि/आबादी में स्थित मकान

स.क्र.	मूल भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	रकबा (वर्ग मी.)	भवन स्वामी का नाम, पिता का नाम	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति राजपुत पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश	19	1	पक्का मकान	44.00	कृष्णपाल सिंह पिता नारायणसिंह	भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
				कच्चा मकान	39.18		
				टीन शेड	43.18		
	योग--:				126.36		

2	राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति राजपुत पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश	19	2	कच्चा मकान	87.60	लखनसिंह पिता नारायणसिंह	भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
				टीन शेड	59.57		
योग:-					147.17		
3	शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी	12	3	कच्चा मकान	65.33	राजेन्द्र सिंह पिता माधो सिंह	ग्राम आबादी में । भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
	गंगाराम पिता चुन्नीलाल सावत्रीबाई बेवा चुन्नीलाल कमलबाईपुत्री चुन्नीलाल जाति चमार पता सीहोर मध्य प्रदेश	20/1		कच्चा मकान	81.60		
				टीन शेड	27.00		
योग:-					173.93		
4	शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी	12	5	टीन शेड	25.16	नेपाल सिंह पिता बलराम सिंह	ग्राम आबादी में ।
योग:-					25.16		
5	शासकीय मध्यप्रदेश शासन आबादी	12	5	ईट की दीवार	2.32	शिवपाल सिंह पिता मांगीलाल	ग्राम आबादी में ।
योग:-					2.32		
6	गोपाल पत्नी अर्जुनसिंह जाति राजपुत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	193/12	4	कच्चा मकान	32.30	प्रेमनारायण पिता पन्नालाल	भवन का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
योग:-					32.30		
महायोग:-					507.24		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

क्रमांक 0002/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि एवं खाने (3) में वर्णित परिसंपत्ति की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

-: अनुसूची - 1 :-					
भूमि/परिसंपत्ति का वर्णन					
जिला	तहसील/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्ग मीटर	धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
सीहोर	श्यामपुर/महुआखेडी	भूमि - 5.513 हैं. परिसंपत्ति - 511.64 व.सी.	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़	पार्वती परियोजना बांध निर्माण से दूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन	
-: अनुसूची - 2 :-					
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (निजी) हे. में	अर्जित रकबा (निजी) हैं. में	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1	ग्यारसीरामबटनलालराजाराम भूरीबाईरेखाबाईपुत्रपुत्रीयागोपालरामकलीबाई बेवा गोपाल जाति चमार पता निवासी ग्राम स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	65/1	1.311	0.700	✓
2	कलीबाई पिता हजारी जाति बलाई पता महुआखेडी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	65/5/1	1.123	1.123	✓
3	महेन्द्र सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति गुर्जर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	78/3/1	0.521	0.053	✓
4	गजराजसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	18/1	0.154	0.154	✓
5	कंचनसिंह फूलसिंह रंगलाल पिता मुंशीलाल भबूडी बाई पुत्री मुंशीलाल जाति गूजर हिस्सा 1/2 सर्जनसिंहकनीरामबाबूलालपुत्रगणजगन्नाथ सरजूबाईरासुमबाईशांतिबाईसुशीलाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर अहस्तांतरणीय	65/4	2.023	2.023	✓
6	बापूलाल पुत्र कालूराम जाति गूजर पता निग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	66/2/1, 67/2/1	1.975	0.980	✓
7	ग्यारसीबाई बेवा बंशीलाल जाति राव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	65/3	1.311	0.480	✓
कुल योग :-		7	8.418	5.513	

निजी भूमि पर स्थित परिसंपत्ति										
स.क.	मूल भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम	सर्वे नंबर	मकान नं.	मकान का प्रकार	लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल वर्ग.मी.	कुल क्षेत्रफल वर्ग.मी.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	भंवर बाई पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग घर्मवीर हेमैन्द्रसिंह निर्मला पिता नारायण सिंह प्रीती पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग भूमि स्वामी	35	1	ईट की दीवार	16.00	0.225	3.60	4.65	राकेश पिता सुरज सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	ईट की दीवार का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को ईट की दीवार बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
				ईट की दीवार	4.65	0.225	1.05			
2	कनीराम पुत्र अमरसिंह जाति लोड़ा पता निवासी ग्राम सीहोर	61/6, 103/61/6	2	हनुमान मंदिर निजी	5.20	8.10	42.12	383.18	कमल सिंह, कनीराम, सरजन सिंह, प्रीतम सिंह पिता अमर सिंह रामनिवास पिता रायसिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी	शिखर 3 नग
				हनुमान मंदिर की देलान	14.20	4.30	61.06			स्वयं
				हनुमान मंदिर का फर्श सी.सी.	20.00	14.00	280.00			
3	बलमत सिंह पुत्र मोतीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश	13/1	3	पक्का चबूतरा	3.90	3.10	12.09	12.09	दीप सिंह पिता गणपत सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	पक्का चबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का चबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
4	कंचनसिंह फूलसिंह रंगलाल पिता मुंशीलाल भवूडी बाई पुत्री मुंशीलाल जाति गूजर हिस्सा 1/2 सर्जनसिंहकनीरामबाबूलालपुत्रगणजगन्नाथ सरजूबाईरासुनबाईशांतिबाईसुशीलाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति गुर्जर हिस्सा 1/2 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	17	4	पक्का चबूतरा	2.00	2.00	4.00	4.00	कंचनसिंह पिता मुंशीलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	स्वयं
5	हरिओम पुत्र भगवतसिंह जाति गूजर पता निवासी ग्राम सीहोर	23	5	पक्का चबूतरा छतरी	2.50	2.50	6.25	6.25	हरिओम पिता भगवत सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	स्वयं
6	बाबूलाल पुत्र जगन्नाथ जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश	80/2/1	6	पक्का चबूतरा	2.00	2.00	4.00	4.00	बाबूलाल पिता जगन्नाथ जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	स्वयं

7	आजाद सिंह पिता हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, सम्पतबाई बेवा हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, कैलाशबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, कृष्णाबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, रुशाबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, पवित्राबाई पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, रामश्री पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8, गायत्री पुत्री हीरालाल जाति गूजर हिस्सा 1/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी श्यामपुर सीहार	16/2	8	पक्का चबूतरा	2.25	2.25	5.06	5.06	सम्पत बाई पति हीरालाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	स्वयं
8	भजनसिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28/1	9	पक्का चबूतरा छतरी	3.50	3.50	12.25	12.25	सुमेर सिंह, सुगना बाई जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	पक्का चबूतरा छतरी का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को भवन बनाने की सहमति के आधार पर भवन
9	भजनसिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28/1	10	पक्का चबूतरा	4.80	1.90	9.12	9.12	भजन सिंह पिता मांगीलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	स्वयं
10	फतेहसिंह पुत्र मोतीलाल जाति गूजर पता महुआखेड़ी सीहोर मध्य प्रदेश	13/2	11	पक्का चबूतरा छतरी	4.00	2.50	10.00	16.97	फतेह सिंह पिता मोतीलाल जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	स्वयं
	विजय सिंह पुत्र फतेहसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश	93/2/1		पक्का पानी टैंक	4.10	1.70	6.97			पक्का पानी टैंक का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का पानी का टैंक बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
11	भगवती बाई बेवा कालूराम अर्जनसिंह छम्मा ना. वा. आ. कालूराम जाति गूजर भागवती भूरा रसूमा मोरबाई बनेसिंह आठ बापूलाल संपतबाई बेवा बापूलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	46/2	12	पक्का चबूतरा छतरी	3.00	3.00	9.00	9.00	भूली बाई पति सरजन सिंह जाति गूजर ग्राम महुआखेड़ी	पक्का चबूतरा छतरी का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का चबूतरा छतरी बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।

12	अमरसिंह पुत्र भंवरजी जाति गुजर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश	46/4	13	पक्का चबूतरा	5.10	5.30	27.03	27.03	ईंदर सिंह पिता चैन सिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी	पक्का चबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का चबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
13	भगवती वाई बेवा कालूराम अर्जनसिंह छम्मा ना. वा. आ. कालूराम जाति गुजर भागवती भूरा रसूसा मोरबाई बनेसिंह आ० बापूलाल संपतबाई बेवा बापूलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	46/2	14	पक्का चबूतरा	2.50	2.00	5.00	5.00	बने सिंह पिता बापूलाल जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी	स्वयं
14	भंवर बाई पुत्री मंगल सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग धर्मवीर हेमन्तसिंह निर्मला पिता नारायण सिंह प्रीती पुत्री नारायण सिंह जाति राजपूत 1/2 भाग भूमि स्वामी	106/29	16	पक्का चबूतरा	1.90	1.60	3.04	3.04	सीताराम पिता जालम सिंह, चंदर सिंह पिता जालम सिंह जाति गुजर ग्राम महुआखेड़ी	पक्का चबूतरा का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा भवन स्वामी को पक्का चबूतरा बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है।
15	प्रीतम आ० अमरसिंह जाति लोडा पता निग्राम सीहोर मध्य प्रदेश	102/61/11	18	पक्का चबूतरा छतरी	2.50	2.00	5.00	5.00	भगवान सिंह पिता कमल सिंह जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी	अधिनिर्णय के समय निराकरण कर मुआवजा दिया जावगा।
16	प्रीतम आ० अमरसिंह जाति लोडा पता निग्राम सीहोर मध्य प्रदेश	102/61/11	19	पक्का चबूतरा छतरी	2.50	2.00	5.00	5.00	कल्याण सिंह पिता हजारीलाल जाति तंवर ग्राम महुआखेड़ी	अधिनिर्णय के समय निराकरण कर मुआवजा दिया जावगा।
कुल योग :-							511.64	511.64		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2024

क्रमांक/४९९/1976305/2024/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 23°52'24.824" से 23°52'53.689" उत्तर अक्षांश तथा 75°58'22.777" से 75°58'35.378" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- आगर-मालवा

तहसील - बडौद

वनमण्डल - सामान्य शाजापुर

वन परिक्षेत्र - आगर

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	गंगापुर	गंगापुर	गैर मुसकिन बर्डी (गैर वन भूमि)	446/1	13.00	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 26 से 29 एवं 29 से 1 तक की वन सीमा। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 13 तक वन सीमा। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 14 तक की वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 26 तक की वन सीमा।
			योग		13.00	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 6-MPR023/2022-BHO दिनांक 23.05.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, नर्मदा संभाग क्रमांक 20 मण्डलेश्वर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत वनमण्डल खण्डवा में कालीसिंग फेस-2 132 के.व्ही. विद्युत लाईन के निर्माण में प्रभावित 54.971 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 13.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/0078-अ-20(3)/2021-22/747 दिनांक 06.02.2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार तहसील बडौद के प्रतिवेदन दिनांक 10.08.2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2024

क्र.-आर-1976305-2024-दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-आर-899-1976305-2024-दस-3, दिनांक 14 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 14th May 2024

No./899/1976305/2024/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23⁰52'24.824" to 23⁰52'53.689" North Latitude and 75⁰58'22.777" to 75⁰58'35.378" East Longitude.

SCHEDULE

District - Agar-Malwa

Tahsil - Badod

Forest Division - Shivpuri (T)

Forest Range - Agar

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Gangapur	Gangapur	Gair Mamkin Bardi (Non Forest Land)	446/1	13.00	North - Artificial Forest boundary from Pillar number 26 to 29 & 29 to 1 of protected forest block. East - Artificial Forest boundary from Pillar number 1 to 13 of protected forest block. South - Artificial Forest boundary from Pillar number 13 to 14 of Protected forest block. West - Artificial forest boundary from Pillar number 14 to 26 of protected forest block.
				Total	13.00	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 6-MPR023/2022-BHO dated 23-05-2023 and in lieu of 54.971 hectare of forest land affected in Kalisindh Phase-2 132 KV Transmission line in Khandwa district of Khandwa Forest Division, of the Executive Engineer, Narmada Sambhag kramank 20 Mandleshwar District Khargoan, the above mentioned Non Forest land of 4.95 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. 0078-अ-20(3)/2021-22/747 Dated 06.08.2023 Collector Shivpuri for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 10.08.2023 of Tehsildar badod are as under.

1. Individual Rights :- Nil

2. Community Rights :- Nil

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड घुघरी-ए N 24° 33' 30.372" E 79° 43' 7.728" से N 24° 34' 6.414 E 79° 42' 47.092" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 33' 33.728" E 79° 42' 32.702" से N 24° 33' 47.980 E 79° 43' 8.755" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -सटई

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	घुघरी-ए	घुघरी	म.प्र. शासन वन विभाग	102	0.146	उत्तर- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 1 से 2 तक।
2				12	17.341	पूर्व- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा में स्थित मुनारा क्र. 2 से 4 तक तथा राजस्व ग्राम घुघरी की सीमा मुनारा क्र. 4 से 37 तक।
3				133	2.566	
4				135/2	0.016	दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा लाईन पर स्थित मुनारा क्र. 37 से मुनारा क्र. 42 तक।
5				136	0.045	
6				138	0.085	पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 42 से 43 एवं मुनारा क्र. 1 तक।
7				34/1	17.632	
8				35	0.158	
9				36	0.429	
10				37	0.009	
11				38	0.397	
12				39	0.109	
13				40	1.761	
14				41	0.38	
15				42	2.084	
16				43	0.518	
17				45	0.04	
18				47	4.205	
19				48/1	4.355	
20				49	7.551	
21				50/1	0.239	
22				50/2	0.202	
23				84	0.186	

24				85	0.05	
25				88	0.24	
26				99	0.287	
27				44	0.286	
28				46	0.376	
29				48/3	0.121	
30				48/2	0.405	
31				34/3	0.372	
32				34/2	0.097	
33				129	0.033	
34				131	0.04	
35				90	0.029	
36				91	0.032	
				कुल योग:-	62.821	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक **8-49/2016-FC** दिनांक **03-11-2023** में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित **62.821** हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक **20-12-2022** एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121/2023-24 दिनांक 14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
 2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
- (ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
 2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
- अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Gughri-A** N 24° 33' 30.372" E 79° 43' 7.728" to N 24° 34' 6.414 E 79° 42' 47.092" North Latitude and N 24° 33' 33.728" E 79° 42' 32.702" to N 24° 33' 47.980 E 79° 43' 8.755" East Longitude.

SCHEDULE**District- Chhatarpur****Tahsil- Satai****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range - Kishangarh Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gughri-A	Gughri	M.P. Govt. Forest Department	102	0.146	North - Pillar no. 1 to 2 on the boundary of protected forest block Kishangarh-B compartment no. P 522. East - Pillar no. 2 to 4 on the boundary of protected forest block Kishangarh-B compartment no. P 522 and boundary of revenue village Gughri from Pillar no. 4 to 37. South- Pillar number 37 to 42 Situated on the boundary of protected forest block Kishangarh-B compartment no. 522-A. West - Pillar no. 42 to 43 and 1 Situated on the boundary of protected forest block Kishangarh-B compartment no. 522-A.
2				12	17.341	
3				133	2.566	
4				135/2	0.016	
5				136	0.045	
6				138	0.085	
7				34/1	17.632	
8				35	0.158	
9				36	0.429	
10				37	0.009	
11				38	0.397	
12				39	0.109	
13				40	1.761	
14				41	0.38	
15				42	2.084	
16				43	0.518	
17				45	0.04	
18				47	4.205	
19				48/1	4.355	
20				49	7.551	
21				50/1	0.239	
22				50/2	0.202	
23				84	0.186	
24				85	0.05	

25			88	0.24
26			99	0.287
27			44	0.286
28			46	0.376
29			48/3	0.121
30			48/2	0.405
31			34/3	0.372
32			34/2	0.097
33			129	0.033
34			131	0.04
35			90	0.029
36			91	0.032
			Total:-	62.821

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 62.821 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur and order no. 2426/बी-121/2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer (Revenue) Bijawar district Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड घुघरी-बी N 24° 33' 48.280" E 79° 43' 9.164" से N 24° 33' 53.043 E 79° 43' 6.273" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 33' 50.087" E 79° 43' 6.717" से N 24° 33' 49.540 E 79° 43' 15.594" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -सटई

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद्	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	घुघरी-बी	घुघरी	म.प्र. शासन वन विभाग	30/240	0.028	उत्तर - संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 3 तक। पूर्व - संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 3 से 4 तक। दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब के कक्ष क्र. पी-522-ए की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 4 से 5 एवं राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 5 से 6 तक। पश्चिम- राजस्व क्षेत्र में स्थित मुनारा क्र. 6 से 10 होते हुये वन खण्ड किशनगढ़-ब की सीमा पर स्थित मुनारा क्र. 1 तक।
2				26/3	0.259	
3				26/5	0.486	
4				30	0.313	
				कुल योग:-	1.086	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 1.086 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20-12-2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121/2023-24 दिनांक 14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th May 2024

No. /FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between Gughri-B N 24° 33' 48.280" E 79° 43' 9.164" to N 24° 33' 53.043 E 79° 43' 6.273" North Latitude and N 24° 33' 50.087" E 79° 43' 6.717" to N 24° 33' 49.540 E 79° 43' 15.594" East Longitude.

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Satai

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gughri-B	Gughri	M.P. Govt. Forest Department	30/240	0.028	North- Pillar no. 1 to 3 on the boundary of protected forest block Kishangarh-B compartment no. 522A. East - Pillar no. 3 to 4 on the boundary of protected forest block Kishangarh-B compartment no. 522A. South - Pillar no. 4 to 5 on the boundary of protected forest block Kishangarh-B compartment no. 522A and pillar no. 5 to 6 situated in the revenue area. West - Through pillar no. 6 to 10 in Revenue area to pillar no. 1 on the boundary of protected forest block kishangarh-B.
2				26/3	0.259	
3				26/5	0.486	
4				30	0.313	
				Total:-	1.086	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 1.086 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur and order no. 2426/बी-121/2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer (Revenue) Bijawar district Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under:-

- Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
- Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड **घुघरी-सी** N 24° 32' 58.248" E 79° 42' 18.183" से N 24° 33' 25.230 E 79° 42' 18.198" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 33' 1.188" E 79° 42' 6.947" से N 24° 33' 7.522 E 79° 42' 32.556" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -सटई

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	घुघरी-सी	घुघरी	म.प्र. शासन वन विभाग	185/2	0.36	उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा। दक्षिण- मुनारा क्रमांक 9 से 12 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा। पश्चिम- मुनारा क्रमांक 12 से 16 एवं 1 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा।
2				185/4	0.263	
3				185/5	0.121	
4				185/6	0.878	
5				185/7	1.214	
6				185/8	1.314	
7				186/1	5.778	
8				186/10	0.405	
9				186/13	0.575	
10				186/14	0.37	
11				186/2	0.87	
12				186/22	0.769	
13				186/3	1.173	
14				186/7	1.133	
15				186/8	0.433	
16				186/9	0.405	
17				197/1	18.595	
18				198/2	0.487	
19				186/11	0.539	
20				186/12	0.549	
21				186/15	0.283	
22				186/16	0.364	
23				186/19	0.101	
24				186/21/1	0.231	
25				186/24	0.308	
26				186/25	0.283	

27				186/4	0.364
28				186/20	0.614
29				186/6	0.505
30				186/23	0.162
31				186/5/2	0.055
32				186/17/1	0.053
33				186/5/3	0.055
34				186/5/4	0.055
35				186/17/2	0.040
36				186/17/3	0.029
37				186/17/4/1	0.020
38				186/17/4/2	0.020
39				186/21/2	0.052
40				186/17/5	0.040
41				187/4/1	0.061
42				187/4/2	0.060
43				187/4/3	0.061
44				187/4/4	0.060
45				187/4/5	0.062
46				187/4/6	0.060
47				187/5/1	0.705
48				187/5/2	0.052
49				187/5/3	0.052
50				198/3	0.761
				कुल योग:-	41.799

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 41.799 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20-12-2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121/2023-24 दिनांक 14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसारण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Gughri-C** N 24° 32' 58.248" E 79° 42' 18.183" to N 24° 33' 25.230 E 79° 42' 18.198" North Latitude and N 24° 33' 1.188" E 79° 42' 6.947" to N 24° 33' 7.522 E 79° 42' 32.556" East Longitude.

SCHEDULE**District- Chhatarpur****Tahsil- Satai****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range - Kishangarh Buffer**

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gughri-C	Gughri	M.P. Govt. Forest Department	185/2	0.36	North - Boundary of protected forest block Kishangarh-B from Pillar no. 1 to 4. East - Boundary of protected forest block Kishangarh-B from Pillar no. 4 to 9. South- Boundary of protected forest block Kishangarh-B from Pillar no. 9 to 12. West - Boundary of protected forest block Kishangarh-B from Pillar no. 12 to 16 and 1.
2				185/4	0.263	
3				185/5	0.121	
4				185/6	0.878	
5				185/7	1.214	
6				185/8	1.314	
7				186/1	5.778	
8				186/10	0.405	
9				186/13	0.575	
10				186/14	0.37	
11				186/2	0.87	
12				186/22	0.769	
13				186/3	1.173	
14				186/7	1.133	
15				186/8	0.433	
16				186/9	0.405	
17				197/1	18.595	
18				198/2	0.487	
19				186/11	0.539	
20				186/12	0.549	
21				186/15	0.283	
22				186/16	0.364	
23				186/19	0.101	
24				186/21/1	0.231	
25				186/24	0.308	
26				186/25	0.283	
27				186/4	0.364	
28				186/20	0.614	
29				186/6	0.505	
30				186/23	0.162	

31			186/5/2	0.055
32			186/17/1	0.053
33			186/5/3	0.055
34			186/5/4	0.055
35			186/17/2	0.040
36			186/17/3	0.029
37			186/17/4/1	0.020
38			186/17/4/2	0.020
39			186/21/2	0.052
40			186/17/5	0.040
41			187/4/1	0.061
42			187/4/2	0.060
43			187/4/3	0.061
44			187/4/4	0.060
45			187/4/5	0.062
46			187/4/6	0.060
47			187/5/1	0.705
48			187/5/2	0.052
49			187/5/3	0.052
50			198/3	0.761
			Total:-	41.799

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 41.799 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur and order no. 2426/बी-121/2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer (Revenue) Bijawar district Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड घुघरी-डी N 24° 32' 44.521" E 79° 42' 34.272" से N 24° 33' 17.392 E 79° 42' 43.290" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 33' 4.301" E 79° 42' 32.562" से N 24° 33' 4.125 E 79° 42' 57.481" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -सटई

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	घुघरी-डी	घुघरी	म.प्र. शासन वन विभाग	178/3	0.405	उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा। पूर्व - मुनारा क्रमांक 2 से 5 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा। दक्षिण - मुनारा क्रमांक 5 से 20 तक राजस्व ग्राम की सीमा। पश्चिम- राजस्व ग्राम सीमा में स्थित मुनारा क्रमांक 20 से संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़-ब की सीमा पर स्थित मुनारा क्रमांक 21 से 1 तक।
2				180/10	0.304	
3				180/2	0.547	
4				180/3	0.061	
5				180/4	0.405	
6				180/5	0.507	
7				180/7	0.303	
8				180/8	0.527	
9				180/9/2	0.055	
10				180/9/1	0.026	
11				180/6/2	0.055	
12				180/6/1	0.034	
13				178/2	0.607	
			कुल योग:-	3.836		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 3.836 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 दिनांक 20-12-2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2426/बी-121/2023-24 दिनांक 14.03.2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Gughri-D** N 24° 32' 44.521" E 79° 42' 34.272" to N 24° 33' 17.392 E 79° 42' 43.290" North Latitude and N 24° 33' 4.301" E 79° 42' 32.562" to N 24° 33' 4.125 E 79° 42' 57.481" East Longitude.

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Satai

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S.No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gughri-D	Gughri	M.P. Govt. Forest Department	178/3	0.405	North - Boundary of protected forest block Kishangarh-B from Pillar no. 1 to 2. East - Boundary of protected forest block Kishangarh-B from Pillar no. 2 to 5. South - Revenue village boundary from pillar no. 5 to 20. West - Pillar no. 20 on the boundary of revenue village to pillar no. 21 to 1 on the boundary of protected forest block Kishangarh-B.
2				180/10	0.304	
3				180/2	0.547	
4				180/3	0.061	
5				180/4	0.405	
6				180/5	0.507	
7				180/7	0.303	
8				180/8	0.527	
9				180/9/2	0.055	
10				180/9/1	0.026	
11				180/6/2	0.055	
12				180/6/1	0.034	
13				178/2	0.607	
	Total:-			3.836		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 41.799 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0029/अ/20(1)/भूमिआवंटन/नजूल/2022-23 dated 20.12.2022 of Colletor Chhatarpur and order no. 2426/बी-121/2023-24 dated 14.03.2024 sub divisional officer (Revenue) Bijawar district Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड कदवारा-ए N 24° 31' 14.784" E 79° 45' 8.459" से N 24° 32' 1.412 E 79° 45' 14.184" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31' 25.377" E 79° 44' 56.352" से N 24° 31' 24.878 E 79° 45' 41.816" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	कदवारा-ए	कदवारा	म.प्र. शासन वन विभाग	4/2	2.921	उत्तर - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 10 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। दक्षिण - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 11 तक संरक्षित वनखण्ड कदवारा की सीमा। पश्चिम - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 13 एवं 1 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा।
2				5/2	3.046	
3				6/2	17.153	
4				7/2	13.840	
5				8/1/2	1.852	
6				17/2	0.550	
7				37/2/2	6.799	
8				36/2/2	2.575	
				योग	48.736	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 48.736 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0003 अ/20(1)/हस्तां/2024-25 दिनांक 11-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
 2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
- (ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
 2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
- अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Kadwara-A** N 24° 31' 14.784" E 79° 45' 8.459" to N 24° 32' 1.412 E 79° 45' 14.184" North Latitude N 24° 31' 25.377" E 79° 44' 56.352" to N 24° 31' 24.878 E 79° 45' 41.816" East Longitude.

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Bijawar

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kadwara A	Kadwara	M.P. Govt. Forest Department	4/2	2.921	North - Boundary of protected forest block Kishangarh from pillar no. 1 to 5 of proposed forest block. East- Boundary of protected forest block Kishangarh from pillar no. 5 to 10 of proposed forest block. South - Boundary of protected forest block Kadwara from pillar no. 10 to 11 of proposed forest block. West - Boundary of protected forest block Kishangarh from pillar no. 11 to 13 and 1 of proposed forest block.
2				5/2	3.046	
3				6/2	17.153	
4				7/2	13.840	
5				8/1/2	1.852	
6				17/2	0.550	
7				37/2/2	6.799	
8				36/2/2	2.575	
			Total:-	48.736		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 48.736 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0003 अ/20(1)/हस्तां/2024-25 dated 11.04.2024 of Collector Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड कदवारा-बी N 24° 30' 30.738" E 79° 44' 26.435" से N 24° 30' 55.879 E 79° 45' 8.321" उत्तर अक्षांश तथा N 24° 30' 32.484" E 79° 44' 25.250" से N 24° 30' 54.746 E 79° 45' 8.746" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।-

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	वनखण्ड की भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएँ
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	कदवारा बी	कदवारा	म.प्र. शासन वन विभाग	50	0.478	उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा। पूर्व - प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 3 तक। दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक संरक्षित वनखण्ड कदवारा की उत्तरी सीमा। पश्चिम -प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 13 एवं 1 तक संरक्षित वनखण्ड किशनगढ़ की सीमा।
44/2				7.100		
3				45/2/2	9.311	
4				63	0.049	
5				64	0.466	
6				65	0.753	
7				66	0.234	
8				67	0.668	
9				69	0.267	
10				68/2	4.981	
11				72/2	0.683	
12				46	0.866	
13				48/2	0.665	
14				49/2	0.214	
15				51/2	3.721	
16				53/2	0.056	
17				54/2	2.011	
18				55	0.878	
19				57	0.987	
20				58/2	0.304	
21				59/1	0.405	
22				47	0.817	
	योग	35.914				

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 35.914 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0003 अ/20(1)/हस्तां०/2024-25 दिनांक 11-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
 2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
- (ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
 2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
- अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies between **Kadwara-B** N 24° 30' 30.738" E 79° 44' 26.435" Is N 24° 30' 55.879 E 79° 45' 8.321" North Latitude N 24° 30' 32.484" E 79° 44' 25.250" Is N 24° 30' 54.746 E 79° 45' 8.746" East Longitude.

SCHEDULE

District- Chhatarpur

Tahsil- Bijawar

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range - Kishangarh Buffer

S. No.	Name of Proposed Forest Block	Details of Land Included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hec.)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kadwara B	Kadwara	M.P. Govt. Forest Department	50	0.478	North - Boundary of protected forest block Kishangarh from pillar no. 1 to 2 of proposed forest block. East- Pillar no. 2 to 3 of proposed forest block. South - Northern boundary of protected forest block Kadwara from pillar no. 3 to 4 of proposed forest block. West - Boundary of protected forest block Kishangarh from pillar no. 4 to 13 and 1 of proposed forest block.
2				44/2	7.100	
3				45/2/2	9.311	
4				63	0.049	
5				64	0.466	
6				65	0.753	
7				66	0.234	
8				67	0.668	
9				69	0.267	
10				68/2	4.981	
11				72/2	0.683	
12				46	0.866	
13				48/2	0.665	
14				49/2	0.214	
15				51/2	3.721	
16				53/2	0.056	
17				54/2	2.011	
18				55	0.878	
19				57	0.987	
20				58/2	0.304	
21				59/1	0.405	
22				47	0.817	
			Total:-	35.914		

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 35.914 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क्र./0003 अ/20(1)/हस्तां/2024-25 dated 11.04.2024 of Colletor Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .
2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्रमांक/FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: राज्य शासन की अधिसूचना क्र. FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) दिनांक 27 मार्च 2024 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 05.04.2024 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 के तहत वनखण्ड ककरा का गठन किया गया है। राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त संरक्षित वनखण्ड ककरा में नीचे अनुसूची में दिये गये विवरण अनुसार अतिरिक्त भूमि संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर सम्मिलित करता है।

अनुसूची

जिला- छतरपुर

तहसील -बिजावर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

क्र.	वनखण्ड का नाम	अतिरिक्त शामिल की जाने वाली भूमि का विवरण				वनखण्ड की सीमाएं
		ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	
1	2	3	4	5	6	7
1	ककरा	ककरा	म.प्र. शासन वन विभाग	163/1	0.100	ककरा वनखण्ड की अधिसूचना क्र. FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) दिनांक 27 मार्च 2024 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 05.04.2024 अनुसार।
2				164/1	0.100	
3				9/1/2	0.147	
4				223/1	0.193	
5				160/1	0.238	
6				108	0.243	
7				305/189	0.267	
8				185/1	0.290	
9				182/1	0.330	
10				184/1	0.340	
11				175/1	0.350	
12				226/1	0.358	
13				304/188	0.405	
14				186/1	0.520	
15				162/1/2	0.521	
16				222/1/1	0.301	
17				222/1/2	0.239	
18				200/1/1	0.680	
19				224	0.829	
20				239/3	0.243	
21				239/4	1.011	
22				174/1/1	1.300	
23				302/60	1.501	
24				234/1/2	1.506	
25				238/1/2	1.539	

26			49/2	0.182
27			49/3	0.263
28			49/4	0.729
29			49/6	0.405
30			73/1/1	1.280
31			73/3	0.449
32			60/1/1/2	2.256
33			225/2	2.314
34			240/1/2	2.627
35			310/51	2.812
36			237/1/2	3.522
			योग:-	30.390

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016-FC दिनांक 03-11-2023 में अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 30.390 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./0001 अ/20(1)/हस्तां०/2024-25 दिनांक 08-04-2024 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं।

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त प्रस्तावित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2024

क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR)- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-FOR-9-0001-2024-Sec-3-दस-(FOR), दिनांक 15 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal, the 15th May 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: State Government has constituted the Forest block Kakra vide its Notification No. FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) dated 27 March 2024 published in gazette dated 05.04.2024 under section 29 of Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) The State Government hereby notify and include the additional land in the said protected forest block Kakra as protected forest as per the details given below in the schedule.

SCHEDULE**District- Chhatarpur****Tahsil- Bijawar****Forest Division - Panna Tiger Reserve****Forest Range - Kishangarh Buffer**

S.No.	Name of Forest Block	Details of additional land to be included				Description of Boundaries
		Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectares)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kakra	Kakra	M.P. Govt. Forest Department	163/1	0.100	As per Notification No. FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) dated 27 March 2024 as per Gazette publication dated 05.04.2024 of Kakra Forest Block.
2				164/1	0.100	
3				9/1/2,	0.147	
4				223/1	0.193	
5				160/1	0.238	
6				108	0.243	
7				305/189	0.267	
8				185/1	0.290	
9				182/1	0.330	
10				184/1	0.340	
11				175/1	0.350	
12				226/1	0.358	
13				304/188	0.405	
14				186/1	0.520	
15				162/1/2	0.521	
16				222/1/1	0.301	
17				222/1/2	0.239	
18				200/1/1	0.680	
19				224	0.829	
20				239/3	0.243	
21				239/4	1.011	
22				174/1/1	1.300	
23				302/60	1.501	
24				234/1/2	1.506	
25				238/1/2	1.539	
26				49/2	0.182	
27				49/3	0.263	

28				49/4	0.729
29				49/6	0.405
30				73/1/1	1.280
31				73/3	0.449
32				60/1/1/2	2.256
33				225/2	2.314
34				240/1/2	2.627
35				310/51	2.812
36				237/1/2	3.522
				Total:-	30.390

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition no. 4 laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016-FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of forest land affected in Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 35.914 hectare transferred/mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. रा.प्र.क./0001 अ/20(1)/हस्तां/2024-25 dated 08.04.2024 of Colletor Chhatarpur.

2. Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by SDM Bijawar are as under:-

1. **Individual Rights** – There are no Individual rights on the said land .

2. **Community Rights** – There are no Communities rights on the said land .

Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Ex-officio Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 6 मई 2024

क्रमांक 383 / आठ/एस.डब्ल्यू/2024, म0प्र0 शासन अपर सचिव, गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ -2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई-2010 एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक पु.मु. /योजना/18/4/50/2023 दिनांक 19.12.2023 द्वारा थानों की सीमा/अधिकार क्षेत्र का युक्तियुक्तकरण के संबंध में जिले के थानों के अधिकार क्षेत्रावली विस्तृत समीक्षा हेतु पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 12.01.2024 की अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जनसुविधा को दृष्टिगत रखते हुये, जिला छतरपुर के संलग्न सारणी के कॉलम नंबर 2 में उल्लेखित थाना/चौकी से उसके (सारणी के) कॉलम नंबर 3 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हुये, सारणी के कॉलम नंबर 4 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम नं 4 में प्रस्तावित करते हुये, कॉलम नं. 5,6,7,8,9 की अधिकारिता में सम्मिलित किए जाने हेतु अधिसूचित किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को जानकारी हेतु अधिसूचना जारी की जाती है।

संदीप जी.आर, जिला मजिस्ट्रेट.

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02, खण्ड ड के अनुसार

क्र. 61-आठ-एस.डब्ल्यू-2024

छतरपुर, दिनांक 18 जनवरी 2024

40940 शासन अपर सचिव, गृह(पुलिस) विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-2(क)/9/08/बी-3/दो भोपाल दिनांक 30 जुलाई-2010 एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना) पुलिस मुख्यालय, 40940 भोपाल के पत्र क्रमांक पु.मु./योजना/18/4/50/2023 दिनांक 19.12.2023 द्वारा अधिसूचित किया जाता है प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये पुलिस अधीक्षक जिला छतरपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी, छतरपुर व अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला छतरपुर के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.01.2024 में लिये निर्णय के क्रम में जिला छतरपुर के पुलिस थानों में सम्मिलित, नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 2 की थाने अंतर्गत कालम नं. 3 में विनिर्दिष्ट राजस्व ग्रामों को एतद् द्वारा अनुसूची के कालम नं. 4 अंकित थानों से प्रस्तावित करते हुये कालम नं. 5, 6, 7, 8, 9 की अधिकारिता में सम्मिलित किए जाने हेतु अधिसूचित करता हूँ।

सं0	थाने का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित थाना	वर्तमान थाने से ग्राम की दूरी (कि०मी०)	प्रस्तावित थाने से ग्राम की दूरी (कि०मी०)	ग्राम की जनसंख्या	विगत 05 वर्ष में ग्राम में घटित अपराधों भाववि/दकसं.	स्पष्ट अभिमत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कांतवाली	कांटा	राजनगर	16 कि०मी०	14 कि०मी०	1600	21	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम है वर्तमान में राजनगर विधानसभा में उक्त ग्राम जुड़ा है जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा की गयी है।
2	कांतवाली	तिहारनपुरवा	राजनगर	19 कि०मी०	16 कि०मी०	350	-	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम है वर्तमान में राजनगर विधानसभा में उक्त ग्राम जुड़ा है जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा की गयी है।

3	ओरछा रोड	हमा	कोतवाली	10 कि०मी०	05 कि०मी०	2500	23	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी है जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा की गयी है।
4	आरछारोड	मोरवा	कोतवाली	12 कि०मी०	08 कि०मी०	700	07	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी है जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा की गयी है।
5	ओरछारोड	टंडेरापुरवा	कोतवाली	07 कि०मी०	04 कि०मी०	136	01	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी है जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा नगर पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा की गयी है।

अनुभाग नौगांव

स० क्र०	थाने का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित थाना	वर्तमान थाने से ग्राम की दूरी (कि०मी०)	प्रस्तावित थाने से ग्राम की दूरी (कि०मी०)	ग्राम की जनसंख्या	विगत 05 वर्ष में ग्राम में घटित अपराध भादवि/दफ़्त	स्पष्ट अभिमत
1	हरपालपुर	मदर्रा	अलीपुरा	15 कि०मी०	11 कि०मी०	5200	20	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होने से आमजन की अधिकतम गतिविधि अलीपुरा रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा की जाती है। माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित थाना में शामिल करने की अनुशंसा की गयी है।
2	हरपालपुर	नाम	अलीपुरा	16 कि०मी०	10 कि०मी०	6000	42	
3	आरछारोड	देवपुर	नौगांव	12 कि०मी०	10 कि०मी०	5500	39	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम है आमजन की अधिकतम गतिविधि नौगांव में रहती है। माननीय विधायक महाराजपुर द्वारा उक्त ग्राम को थाना नौगांव में

4	महाराजपुर	हरई	गढीमलहरा	18 कि०मी०	12 कि०मी०	1350	14	शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम है आमजन की अधिकतम गतिविधि गढीमलहरा में रहती है। माननीय विधायक महाराजपुर द्वारा उक्त ग्राम को थाना गढीमलहरा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
5	महाराजपुर	खिरी	गढीमलहरा	18 कि०मी०	13 कि०मी०	2500	25	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम है आमजन की अधिकतम गतिविधि गढीमलहरा में रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन बावत् माननीय विधायक महाराजपुर द्वारा उक्त ग्राम को थाना गढीमलहरा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
6	महाराजपुर	उमरया	राजनगर	22 कि०मी०	17 कि०मी०	1500	16	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम है आमजन की अधिकतम गतिविधि राजनगर में रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन बावत् माननीय विधायक महाराजपुर द्वारा उक्त ग्राम को थाना राजनगर में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
7	महाराजपुर	सेवडी	राजनगर	20 कि०मी०	17 कि०मी०	5500	16	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम है आमजन की अधिकतम गतिविधि राजनगर में रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन बावत् माननीय विधायक महाराजपुर द्वारा उक्त ग्राम को थाना राजनगर में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
8	महाराजपुर	मदया	राजनगर	26 कि०मी०	18 कि०मी०	2200	10	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम है आमजन की अधिकतम गतिविधि राजनगर में रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन बावत् माननीय विधायक महाराजपुर द्वारा उक्त ग्राम को थाना राजनगर में

9	महाराजपुर	चौडापुरव	राजनगर	25 कि०मी०	19 कि०मी०	900	06	शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम है आमजन की अधिकतम गतिविधि राजनगर में रहती है। जनसुविधा एवं एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन बावत् माननीय विधायक महाराजपुर द्वारा उक्त ग्राम को थाना राजनगर में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
---	-----------	----------	--------	-----------	-----------	-----	----	--

अनुभाग लवकुशनगर

स० क्र०	थाने का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित थाना	वर्तमान थाने से ग्राम की दूरी (कि०मी०)	प्रस्तावित थाने से ग्राम की दूरी (कि०मी०)	ग्राम की जनसंख्या	विगत 05 वर्ष में ग्राम में घटित अपराध भादवि/दप्रसं.	स्पष्ट अभिमत
1	लवकुशनगर	बलकौरा	चंदला	21 कि०मी०	09 कि०मी०	1600		वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होगी। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लवकुशनगर द्वारा की जाती है।
2	लवकुशनगर	लाधिनपुरवा	चंदला	20 कि०मी०	10 कि०मी०	300	25	
3	लवकुशनगर	चन्नीपुरवा	चंदला	23 कि०मी०	13 कि०मी०	250	16	
4	लवकुशनगर	पुरा	जुझारनगर	22 कि०मी०	18 कि०मी०	2000	33	
	लवकुशनगर	इ.वा	जुझारनगर	19 कि०मी०	17 कि०मी०	1200	48	
	चन्दला	भगुरिया	गौरिहार	20 कि०मी०	10 कि०मी०	5000	80	

7	जुझारनगर	धूरा	गौरिहार	25 कि०मी०	14 कि०मी०	3000	05	---
8	जुझारनगर	चितहरी	गौरिहार	20 कि०मी०	12 कि०मी०	2500	36	---
9	जुझारनगर	बरहयन	गौरिहार	22 कि०मी०	15 कि०मी०	400	05	---
10	जुझारनगर	तिलगनपुरवा	गौरिहार	20 कि०मी०	12 कि०मी०	350	01	---
11	जुझारनगर	लौलास	गौरिहार	20 कि०मी०	12 कि०मी०	450	04	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होने से जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लवकुशनगर द्वारा की जाती है।

अनुभाग खजुराहो

स० क्र०	थाने का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित थाना	वर्तमान थाने से ग्राम की दूरी (कि.मी)	प्रस्तावित थाने से ग्राम की दूरी (कि.मी.)	ग्राम की जनसंख्या	विगत 05 वर्ष में ग्राम में घटित अपराध (भादवि/क्रमस)	स्पष्ट अभिमत
1	महाराजपुर	उमरया	लवकुश नगर	28 कि०मी०	09 कि०मी०	2000	28	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होने से जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० खजुराहो द्वारा की गयी है।
2	महाराजपुर	नदया, चौड़ापुरवा	राजनगर	14 कि०मी०	08 कि०मी०	2000	32	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होने से जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० खजुराहो द्वारा की गयी है।
3	महाराजपुर	खिरी	गढीमलहरा	19 कि०मी०	09 कि०मी०	3000	29	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम है गांव उत्तरप्रदेश की सीमा से लगा है जहां लगातार भ्रमण की आवश्यकता है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० खजुराहो द्वारा की गयी है।

4	बमीठा	पलकोहा	किशनगढ़	35 कि०मी०	18 कि०मी०	2200	17	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होने से जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० खजुराहो द्वारा की गयी है।
5	बमीठा	ढोडन	किशनगढ़	36 कि०मी०	20 कि०मी०	600	03	
6	बमीठा	खरथानी	किशनगढ़	40 कि०मी०	24 कि०मी०	500	04	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होने से जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० खजुराहो द्वारा की गयी है।

अनुभाग बिजावर

स० क्र०	थाने का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित थाना	वर्तमान थाने से ग्राम की दूरी (कि०मी०)	प्रस्तावित थाने से ग्राम की दूरी (कि०मी०)	ग्राम की जनसंख्या	विगत 05 वर्ष में ग्राम में घटित अपराध भावस्थि/दप्रस	स्पष्ट अभिमत
1	ईशानगर	गंदगाय	ओरछारोड	18 कि०मी०	12 कि०मी०	900	50	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होने से जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० बिजावर द्वारा की गयी है साथ ही माननीय विधायक बिजावर द्वारा उक्त ग्राम को थाना ओरछारोड में शामिल करना प्रस्तावित किया है।
2	ईशानगर	लक्ष्मनपुरा	ओरछारोड	16 कि०मी०	14 कि०मी०	1400	24	
3	बिजावर	अधियारा	चौकी रानीताल थाना बाजना	13 कि०मी०	03 कि०मी०	3000	20	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होने से जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० बिजावर द्वारा की गयी है साथ ही माननीय विधायक बिजावर द्वारा उक्त ग्राम को थाना

4	मातगुवा	रगौली	पिपट -	12 कि०मी०	10 कि०मी०	4500	147	चौकी रानीताल में शामिल करना प्रस्तावित किया है। वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होना, जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० बिजावर द्वारा की गयी है साथ ही माननीय विधायक बिजावर द्वारा उक्त ग्राम को थाना पिपट में शामिल करना प्रस्तावित किया है।
5	किशनगढ़	मोतीगढ़	सटई	23 कि०मी०	17 कि०मी०	2000	14	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होना, जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० बिजावर द्वारा की गयी है साथ ही माननीय विधायक बिजावर द्वारा उक्त ग्राम को थाना सटई में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
6	शाहगढ़	नागौरी	चौकी खैरा थाना बिजावर	23 कि०मी०	10 कि०मी०	150	---	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होना, जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० बिजावर द्वारा की गयी है साथ ही माननीय विधायक बिजावर द्वारा उक्त ग्राम को चौकी खैराकला में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
7	सटई	छिरावल	मातगुवा	18 कि०मी०	09 कि०मी०	2000	35	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होना, जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० बिजावर द्वारा की गयी है साथ ही माननीय विधायक बिजावर द्वारा उक्त ग्राम को थाना मातगुवा में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
8	सटई	औरिया	पिपट	16 कि०मी०	12 कि०मी०	1000	22	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होना, जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० बिजावर द्वारा की गयी है साथ ही माननीय विधायक बिजावर द्वारा उक्त ग्राम को थाना पिपट में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

9	सटई	पटवा का पुरवा	पिपट	16 कि०मी०	10 कि०मी०	500	09	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होना, जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा अनु०अधि०पु० बिजावर द्वारा की गयी है साथ ही मान्नीय विधायक बिजावर द्वारा उक्त ग्राम को थाना पिपट में शामिल किया जाना प्रस्तावित है।
---	-----	---------------	------	-----------	-----------	-----	----	--

अनुभाग बडामलहरा

स० क्र०	थाने का नाम	ग्राम का नाम	प्रस्तावित थाना	वर्तमान थाने से ग्राम की दूरी (कि०मी०)	प्रस्तावित थाने से ग्राम की दूरी (कि०मी०)	ग्राम की जनसंख्या	विगत 05 वर्ष में ग्राम में अपराध भादवि/दप्रस	स्पष्ट अभिमत
1	बाजना	पाटन	बिजावर	25 कि०मी०	15 कि०मी०	900	30	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होने से आमजन की अधिकतम गतिविधि बिजावर रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा की जाती है। मान्नीय विधायक द्वारा प्रस्तावित थाना में शामिल करने की अनुशंसा की गयी है।
2	बाजना	पडरो	बिजावर	23 कि०मी०	17 कि०मी०	250		
3	बडामलहरा	सरगुवा	गुलगंज	13 कि०मी०	06 कि०मी०	1000	08	वर्तमान थाने से प्रस्तावित थाने की दूरी कम होने से जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा की जाती है। मान्नीय विधायक द्वारा प्रस्तावित थाना में शामिल करने की अनुशंसा की गयी है।
4	बडामलहरा	विक्रमपुरा	गुलगंज	19 कि०मी०	05 कि०मी०	838	10	

5	बमनौरा	रवारा	चौकी घुवारा थाना भगवा	11 कि०मी०	02 कि०मी०	2400	09	वर्तमान थाने से प्रस्तावित चौकी की दूरी कम होने से आमजन की अधिकतम गतिविधि घुवारा रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा की जाती है। माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित थाना में शामिल करने की अनुशंसा की गयी है।
6	बमनौरा	कुटौरा	---	15 कि०मी०	04 कि०मी०	3600	19	वर्तमान थाने से प्रस्तावित चौकी की दूरी कम होने से आमजन की अधिकतम गतिविधि घुवारा रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा की जाती है। माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित थाना में शामिल करने की अनुशंसा की गयी है।
7	बमनौरा	धर्मपुरा	---	12 कि०मी०	02 कि०मी०	1200	12	वर्तमान थाने से प्रस्तावित चौकी की दूरी कम होने से आमजन की अधिकतम गतिविधि घुवारा रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा की जाती है। माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित थाना में शामिल करने की अनुशंसा की गयी है।
8	बमनौरा	भैसाखेरा	---	17 कि०मी०	06 कि०मी०	1100	10	वर्तमान थाने से प्रस्तावित चौकी की दूरी कम होने से आमजन की अधिकतम गतिविधि घुवारा रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा की जाती है। माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित थाना में शामिल करने की अनुशंसा की गयी है।
9	बमनौरा	अमरवा	चौकी घुवारा थाना भगवा	09 कि०मी०	04 कि०मी०	1050	14	वर्तमान थाने से प्रस्तावित चौकी की दूरी कम होने से आमजन की अधिकतम गतिविधि घुवारा रहती है। जनसुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से सीमा परिवर्तन की अनुशंसा की जाती है। माननीय विधायक द्वारा प्रस्तावित थाना में शामिल करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला छतरपुर कंसचालन व संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों पर पित्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अंतर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारम्भ करना हेतु एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

संदीप जी.आर, जिला मजिस्ट्रेट.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2024

क्र. बी-986-तीन-10-42-75-(अशोकनगर-ईशागढ़)- उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक बी-4134, दिनांक 22.6.2023, जहाँ तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) की श्रंखला न्यायालय ईशागढ़ (जिला अशोकनगर) के संचालन से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

No. : B-986-III-10-42-75 (Ashoknagar-Ishagarh).- High Court Notification No. B-4134, dated 22nd June 2023, so far as it relates to holding link Court of Civil Judge (Senior Division) at Ishagarh (District Ashoknagar), is **hereby stands cancelled.**

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2024

क्र. बी-1011-तीन-10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे।

No. : B-1011-III-10-42-75.- The Judges named in the column no. (3) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column no. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column no. (4) for holding link Court.

MPHJS Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Vijayraghgarh (Katni)	Shri Kailash Narayan Ahirwar, III District & Additional Sessions Judge, Katni	10 days (from 21 st to 30 th of every month)
2.	Nainpur (Mandla)	Shri Vivekanand Trivedi, IV District & Additional Sessions Judge, Mandla	10 days

MPJS Cadre

S. No.	Places, where Link Court is to be held (District)	Name of the Officer and designation	Period in a month for which Link Court is to be held
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tamia (Chhindwara)	Shri Rahul Soni, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Junior Division, Junnardeo	Two Weeks
2.	Bichhua (Chhindwara)	Shri Sachin Jain (Jr.), Civil Judge Senior Division, Sausar	Last Week of the Month
3.	Shahgarh (Sagar)	Shri Ashish Kumar Mathoriya, II Civil Judge Senior Division, Banda	15 Days
4.	Malthone (Sagar)	Shri Sachendra Kumar Bhadkariya, I Civil Judge Senior Division, Khurai	15 Days
5.	Pachmarhi (Narmadapuram)	Shri Manish Kumar Pareek, II Civil Judge Senior Division, Pipariya	03 Days
6.	Mangawa (Rewa)	Shri Dilip Mahore, IX, Civil Judge Junior Division, Rewa	15 Days
7.	Nepanagar (Burhanpur)	Shri Guruvendra Kumar Hurmade, III Civil Judge Junior Division, Burhanpur	One day in a week

By order of Hon'ble Chief Justice,

RITURAJ SINGH CHOUHAN, REGISTRAR
(District Establishment),

Jabalpur the 14th April 2024

No. A-2939.- *Vide* Notification No. ECI/PN/23/2024, dated 16th March 2024 of the Election Commission of India, Lok Sabha Election 2024 has been declared for various constituencies of Madhya Pradesh. In pursurance thereof, Government of Madhya Pradesh, General Administration Department, Bhopal has issued Notification No. 3-03-2019-1-4, dated 26th March 2024, declaring public holiday in the various Lok Sabha constituencies of Madhya Pradesh.

Vide circular no. D-488, dated 22nd January 2015 issued by High Court of Madhya Pradesh, all the Principal District Judges have been authorised to issue a notification for declaring holiday for their respective districts/area which goes for poll on account of Lok Sabha, Vidhan Sabha, Local Bodies, Muncipal Election etc. In Compliance of the above circular, Principal District Judges of the respective district have declared public holiday on the date of polling for the courts falling under their jurisdiction, within the respective constituency of the Lok Sabha.

Hence, in partial modification of Registry Notification No. C-1526 dated 8th February 2024, Hon'ble Chief Justice has been pleased to declare 20th July 2024 (Saturday) as a court working day for the District Judiciary in lieu of the holiday so declared by the Principal District Judges on account of Lok Sabha election for their respective district/area.

By order of Hon'ble Chief Justice,

MANOJ KUMAR SHRIVASTAVA,
Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 3 मई 2024

क्र. A-3392-दो-2-2-2023.- श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 6 से 11 मार्च 2024 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 12 मार्च से 16 अप्रैल 2024 तक, छत्तीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3394-दो-3-21-2021.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 20 से 22 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-3396-दो-2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 6 से 8 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-1387-दो-2-82-2023.- श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 20 से 22 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3737-दो-2-32-2018.- श्री दीपेश तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 15 से 16 अप्रैल 2024 तक, दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3735-दो-2-31-2023.- श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय जबलपुर को दिनांक 2 से 13 अप्रैल 2024 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3739-दो-2-65-2018.- श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 19 अप्रैल 2024 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 18 से 27 अप्रैल 2024 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 अप्रैल 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-3741-दो-2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 13 से 17 मई 2024 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 मई 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3743-दो-2-56-2021.- श्रीमती सविता सिंह, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास वर्तमान में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2019 से 30 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-3745-दो-2-56-2021.- श्रीमती सविता सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2023 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-3747-दो-2-35-2023.- श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 29 अप्रैल से 1 मई 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अप्रैल 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3749-दो-2-47-2022.- श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 20 मई से 3 जून 2024 तक, पन्द्रह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश दिनांक 18 मई से 3 जून 2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.